

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०सं०-5/निदे०(प्रवे० छात्र०)-01-10/2021-100

प्रेषक,

प्रियंका रानी, भा०प्र०से०

निदेशक

सेवा में,

उप सचिव,

-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग,

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 13/08/2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रथम अनुपूरक के आगणन से केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्यांश मद में ₹50,00,00,000 (पचास करोड़ रु०) मात्र राशि का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अनु० जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-.../... दिनांक-.../.../... द्वारा राज्यांश मद के लिए ₹50,00,00,000 (पचास करोड़ रु०) मात्र राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृत्यादेश एवं भारत सरकार के दिशा-निर्देश के आलोक में राशि की निकासी कर SNA खाते में संधारित करने हेतु राज्यांश मद में कुल ₹50,00,00,000 (पचास करोड़ रु०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2-वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के O.M. दिनांक-23.03.2021 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में इस आवंटित राशि का व्यय Single Nodal Agency (SNA) एवं Implementing Agency (IA) के बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा।

3-राज्यांश मद के लिए राशि मांग सं०-44 के योजना बजट मुख्य शीर्ष-“2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0319-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति विषय शीर्ष-0319.34.01 छात्रवृत्ति वजीफा- विपत्र कोड सं०-44-2225012770319” पी०एफ० एम०एस० कोड-2063 के तहत विकलनीय होगा।

4-इस योजना के लिए निकासी पदाधिकारी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग तथा व्ययन पदाधिकारी Implementing Agency (IA) के रूप में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव/सचिव द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी कर Single Nodal Agency (SNA) के बैंक खाता सं०-40327754529, IFSC-SBIN0000153, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, सिंचाई भवन, पटना में संधारित करेंगे।

5-Implementing Agency (IA) शिक्षा विभाग के व्ययन पदाधिकारी, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय करेंगे तथा व्यय की गई राशि की व्यय विवरणी समय-समय पर अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को भेजेंगे। इस राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561 दिनांक-17.4.98 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे। संकल्प संख्या-3098 दिनांक-20.12.2017 के आलोक में राज्य स्तर पर इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार होंगे।

6-अनु० जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत राशि का व्यय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों एवं

विभागीय संकल्प सं०-4061 दिनांक-16.05.2016, संकल्प संख्या-3098 दिनांक-20.12.2017, संकल्प संख्या-386 दिनांक-15.02.2018 एवं संकल्प संख्या-636 दिनांक-03.02.2026 के आलोक में तथा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निदेश के आलोक में किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2025-26 के केन्द्र प्रायोजित अनुसूचित जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लंबित मामलो को इस राशि से भुगतान किया जा सकता है।

8-अनु० जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति का भुगतान DBT के माध्यम से किया जाएगा। जिला स्तरीय छात्रवृत्ति चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में छात्रवृत्ति वितरण की कार्यवाई की जाएगी।

9-शिक्षा विभाग, छात्रवृत्ति हेतु व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित समय-सीमा के अन्दर नियमानुसार महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को भेजेंगे।

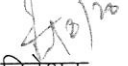
10-इस आवंटन की सूचना सभी संबंधित पदाधिकारी को दी जा रही है।

विश्वासभाजन



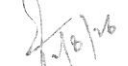
निदेशक

ज्ञापांक-5/निदे०(प्रवे० छात्र०)-०१-१०/२०२१- १०० पटना, दिनांक- 13/08/2026
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



निदेशक

ज्ञापांक-5/निदे०(प्रवे० छात्र०)-०१-१०/२०२१- १०० पटना, दिनांक- 13/08/2026
प्रतिलिपि-विकास आयुक्त, बिहार/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सचिव, वित्त विभाग/सचिव, शिक्षा विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।



निदेशक

ज्ञापांक-5/निदे०(प्रवे० छात्र०)-०१-१०/२०२१- १०० पटना, दिनांक- 13/08/2026
प्रतिलिपि:-सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



निदेशक

ज्ञापांक-5/निदे०(प्रवे० छात्र०)-०१-१०/२०२१- १०० पटना, दिनांक- 13/08/2026
प्रतिलिपि:-लेखा शाखा (2 प्रति में)/प्रभारी बजट शाखा/प्रशाखा पदा०-5डी०/आई० टी० मैनेजर/सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



निदेशक

ज्ञापांक-5/निदे०(प्रवे० छात्र०)-०१-१०/२०२१- १०० पटना, दिनांक- 13/08/2026
प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।



निदेशक